2011/00803

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 03/2011

प्रार्थी
मांगीलाल पुत्र प्रभुलाल जाति
ओसवाल निवासी लुणवा जागीर
तहसील,गुड़ामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी
2.भीमसिंह पुत्र भेरसिंह जाति राजपूत
निवासी लुणवा जागीर तहसील,
गुड़ामालानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 227 दिनांक 01.02.2008 जो ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी मांगीलाल उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या02 मय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक 30.05.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 भीमसिंह ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि ग्राम गुड़ामालानी की आबादी भूमि खासरा नम्बर 1717 में आवासीय प्लोट आया हुआ है। जिसका नियमानुसार पट्टा जारी करने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने पत्रावली संख्या 231/07 कायम कर अप्रार्थी भीमसिंह के नाम नियम 157(2) के तहत संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2008 के अनुसरण में पट्टा संख्या 227 दिनांक 01.02.2008 को जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा की भूमि उसकी स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा है। इस पट्टा विलेख को अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई हाजिर आये। जिन्होंने निगरानी का जवाब पेश कर निगरानी मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गईथी। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण उपस्थित रहे। प्रार्थी के अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत लिखित बहस एंव ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन किया कि वादगस्त भूखण्ड को उसने भीमसिंह स्वंय से एंव विरसिंह के विधिक वारिसान से क्रय किया था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की भूमि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है। निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अप्रार्थी के हक मे पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने नियमो में निर्धारित प्रकिया को नहीं अपनाते हुए एंव प्रार्थी की भूमि पर पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी भीमसिंह ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। इस आवेदन पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया हैं। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर पत्रावली संख्या 231 दिनांक 20.11.2007 कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 05.12.07 को निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् दिनां 05.01.08 को प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर नियम 157(2) के तहत पटटा जारी किया गया हैं। इन नियमो के परिपेक्ष्य में विप्रार्थी पट्टा द्वारा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रेकर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख दिनांक 01.02.2008 जारी किया है।इसमें कोई अनियमितता एव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जारी पट्टा विलेख पर विक्रय पत्र का निष्पादन कर उप पंजीयन कार्यालय गुड़ामालानी में पंजीयन करवा दिया है जिससे अप्रार्थी संख्या 02 का इस पट्टा की भूमि पर स्वामित्व हासिल हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नही हैं। प्रार्थी पक्ष निगरानी को साबित करने में असमर्थ रहा हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 30.05.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर